

धारा 32 : कर के अप्राधिकृत संग्रहण का प्रतिषेध

- (1) कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं है, माल और सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में कोई रकम संग्रहीत नहीं करेगा।
 - (2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर का संग्रहण नहीं करेगा।
-